उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग सं0–1520/चि0 2–2002–220/2002 दिनॉक 7 नवम्बर 2002 की अधिसूचना के अर्न्तगत उ.प्र. नर्सेज मिडवाइव्ज असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज (ऑक्जीलरी नर्सेज मिडवाइव्ज) व हैल्थ विजिटर्स पंजीकरण अधिनियम 1934 के धारा 33, उप धारा (2) के अर्न्तगत बनी नियमावली के अनुकूल तथा उपान्तरण आदेश 2002 में लागू है/गठित है।

उक्त अधिनियम में बनी उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल राज्य में संचालित या राज्य से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षार्थी ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एस.सी.(नर्सिंग), पोस्ट बी.एस.सी.(नर्सिंग), एम.एस.सी. (नर्सिंग) का पंजीकरण का कार्य करती हैं, इसके अतिरिक्त राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण, संचालन आदि का कार्य भी नर्सिंग कौंसिल के अधीन निहित है।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना/विज्ञप्ति संख्या 1016/चि02–2004–220 (चि0)/2002 दिनांक– 13 अप्रैल 2004, के अन्तर्गत नर्सिंग कौंसिल निम्नवत गठित की गई है।

पदेन सदस्यः–

1. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड	:	अध्यक्ष (पदेन)
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तराखण्ड	:	उपाध्यक्ष(पदेन)
3. संयुक्त निदेशक, मातृ व शिशु उपचार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	:	सदस्य (पदेन)
4. राज्य विधानसभा से दो निर्वाचित मनोनित सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
5. एक महिला मनोनीत सदस्य उततराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में से	:	सदस्य (पदेन)
6. प्रदेश सरकार की नर्सिंग सेवाओं में से दो सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
7. पंजीकृत मिडवाइव्ज व असिटेन्ट मिडवाइव्ज में से दो सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
8. पंजीकृत हैल्थ विजिटर में से एक सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
9. राज्य सरकार द्वारा नामित मेट्रन टयूटर में से दो सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
10. जनरल नर्सिंग सेन्टर की अधीक्षिका सदस्य	:	सदस्य (पदेन)
11. पंजीकृत नर्स उत्तराखण्ड निवासी में से एक सदस्य	:	सदस्य (पदेन)

पदेन सदस्यों को छोडकर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित है अन्य नामित/चयनित सदस्यों के पुनर्गठन हेतू कार्यवाही गतिमान है।

वर्तमान में कॉलजे/प्रशिक्षण संस्थानों की सूची निम्नवत है।